

**कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता**  
**स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक ...../स्था/अराज/एमसी/2021

रीवा, दिनांक .....

**आदेश**

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्र. 20083/2020 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2021 एवं याचिका क्र. 6626/2021 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2021 के परिपालन में कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 14615/स्वशासी/स्था/अराज/एमसी/2019 रीवा, दिनांक 29.07.2019 के अनुक्रम में दिनांक 11.11.2020 को जारी प्रावधिक चयन सूची में से प्रवीण्यता क्रम में रहे निम्नलिखित उम्मीदवारों की नियुक्ति **स्टाफ नर्स** के पद पर अग्रिम आदेश तक वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-7 में न्यूनतम वेतन रूपये-28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ अस्थायी रूप से एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए **सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीवा** में पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी
1.	सुरुचि शुक्ला, पिता श्री राजेश्वर प्रसाद शुक्ला	विलेज पोस्ट- बडेरी, जिला उमरिया, (म.प्र.), पिन- 484661	अनारक्षित
2.	पार्वती नाईकर, पिता श्री पलनी राजन नाईकर	म.नं. 685, कांचघर, हनुमान टोरिया, पानी की टंकी के पास, संजय गांधी वार्ड, जिला जबलपुर, (म.प्र.), पिन- 482001	अनारक्षित
3.	प्रिया कोनसटेनटाइन, पिता श्री कोनसटेनटाइन ईलीयास	म.न. 106, प्रेम नगर, नारियल खेड़ा, जिला भोपाल, (म.प्र.) पिन- 462038	अनारक्षित
4.	श्रद्धा राजपूत, पिता श्री शिवकुमार राजपूत	210, बघवार करेली, बघवार, जिला नरसिंहपुर, (म.प्र.), पिन- 487225	अनारक्षित
5.	गीता साहू, पति श्री मनीष साहू	ग्राम व पोस्ट- पल्हान, तहसील सिरमौर, जिला रीवा, (म.प्र.), पिन- 486441	अन्य पिछड़ा वर्ग
6.	अन्नपूर्णा सिंह, पिता श्री राघवेन्द्र सिंह	83 के, रघुनाथपुर, जनार्दनपुर, तहसील रामपुर बाघेलन, जिला सतना, (म.प्र.) पिन- 485001	अन्य पिछड़ा वर्ग
7.	बीना डाबर, पिता श्री कैलाश डाबर	महावीर तीर्थाकर, जैन कॉलोनी, पशुपतिनाथ गेस्ट हाउस, जिला मंदसौर, (म.प्र.), पिन- 458001	अनुसूचित जाति
8.	ललिता प्रजापति, पिता श्री बद्रीप्रसाद प्रजापति	421/15, संजय नगर, जिला रीवा, (म.प्र.) पिन- 486001	अनुसूचित जाति

**क्रमशः पेज-02**

**नियुक्ति की शर्तें:-**

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-7 में न्यूनतम वेतन रूपये-28700/- प्रति माह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त की जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/-रूपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

::03::

13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. स्टाफ नर्स की ड्यूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से शायं काल 07:00 बजे तक तथा तृतीय पाली शायं 07:00 बजे से अगले दिन प्रातः 07:00 बजे तक होगी। प्रमुख पारिचारिका द्वारा रोस्टर अनुसार जिस पाली में ड्यूटी लगाई जावेगी उस पाली में ड्यूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
15. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
16. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 20083/2020, 6626/2021 एवं डब्ल्यू.पी. 502/2021 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

4

(डॉ. मनोज इन्दूरकर)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र. 24405-13. स्था/अराज/एमसी/2021, रीवा, दिनांक 28/10/2021  
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल।
4. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा एवं अध्यक्ष कार्याकारिणी समिति, स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा।
6. अधीक्षक, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक रीवा।
7. कार्यालय लेखाशाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा की ओर लेख है कि, संबंधित का वेतन भुगतान मांग संख्या 52 - 2210 - 01 - 110 - 1353 - 0101 - 42 - 002 (सहायक अनुदान मद) में विकलनीय होगा।
8. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड-0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

*(Signature)*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)